महोबा पुलिस

दिनांक:- 08.02.2021

सोशल मीडिया सेल

थाना खरेला पुलिस टीम ने अवैध शराब सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

दिनांक 07.02.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0 के0 गौतम के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी चरखारी के पर्वेक्षण चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत प्र0नि0 खरेला श्री अनिल कुमार द्वारा गठित टीम उ0नि0 रामराज सिंह मय हमराही के द्वारा अभियुक्त मुकेश सिंह पुत्र जाहिर सिंह उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम पुन्निया थाना खरेला जनपद महोबा को **25 अदद क्वाटर देशी शराब ठेका नाजायज** के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 21/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम** के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण...

1.उ0नि0 रामराज सिंह

2.का0 शैलेन्द्र प्रजापति

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

मुकेश सिंह पुत्र जाहिर सिंह उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम पुन्निया थाना खरेला जनपद महोबा।

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त के कब्जे से 25 अदद क्वाटर देशी शराब ठेका नाजायज बरामद होना।

महोबा पुलिस

दिनांकः- 08.02.2021

सोशल मीडिया सेल

@mahobapolice के सोशल साइट twitter पर हुये 31 हजार फॉलोवर्स

@mahobapolice को फॉलो कर अपना प्यार व भरोसा बनाये रखने के लिये सभी का आभार...।

@mahobapolice जनपद महोबा के आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या आज दिनांक 08.02.2021 को 31 हजार के पार पहुंच गयी। जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु लगातार सोशल साइट्स पर नजर रखी जा रही है साथ ही सोशल साइट्स पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण भी पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में किया जाता है।

बहुत तेजी से बढ रही है फॉलोअर्स की संख्या, महोबा पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों का सोशल साइट्स पर प्रचार-प्रसार किया जाता है तथा सोशल साइट्स पर जो भी शिकायतें प्राप्त होती है उन सभी शिकायतों में विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित करायी जाती है। जिसके क्रम में महोबा पुलिस लगातार अपने कार्यों से आमजन का भरोसा जीत रही है साथ ही सभी को सुरक्षा का सुखद एहसास भी करा रही है।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम द्वारा इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कैम्प कार्यालय में स्थापित सोशल मीडिया सेल के द्वारा किये जाने वाले कार्यों की प्रशंसा की।

दिनांकः- 08.02.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल

"मिशन शक्ति" अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारों के प्रति किया जागरूक...।

उ0प्र0 शासन व उ0प्र0 पुलिस के द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को जागरुक किये जाने हेतु चलाये जा रहे महाभियान *मिशनशक्ति* के तहत आज दिनाँक 28.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जनपद में संचालित हो रहे **"मिशन शक्ति"** महाभियान कार्यक्रम के तहत नोडल अधिकारी मिशन शक्ति निरीक्षक रचना सिंह मय टीम के साथ श्री सिद्ध गोपाल रिछारिया इण्टर कालेज जैतपुर-बेलाताल महोबा में आयोजित मिशनशक्ति जागरुकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उपस्थित बालिकाओं को नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन व नारी सुरक्षा के प्रति जागरुक किया गया तथा उन्हे हेल्पलाइन नम्बरों- वूमेन पावर लाइन-1090, महिला हेल्प लाइन-181, आपातकाल सेवा-112, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नम्बर-1076, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108 एवं सभी को जनपद के प्रमुख अधिकारियों के सीयूजी नंबरो के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उन्हे साइबर अपराध एवं महिला कानूनो की भी जानकारी दी गई।

साथ ही टीम द्वारा मौजूद छात्रों को लड़कियों पर छीटाकशी/छेड़खानी करने व महिला सम्बन्धी अपराध करने से बचने की सलाह दी गई। उन्हे बताया गया कि कानून सभी के लिए बराबर है। बाल अपराध के खिलाफ भी कार्यवाही होगी। किसी भी विद्यार्थी को कोई परेशानी होने पर तुरन्त चाइन्ड केयर नं0 1098 पर फोन कर सकते हैं।

महोबा पुलिस

दिनांकः- 08.02.2021

सोशल मीडिया सेल

थाना चरखारी पुलिस की संयुक्त टीम ने 03 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तारः-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री राजकुमार पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अपराधियों के धरपकड अभियान वारण्टी/वांछित अभियुक्त गिरफ्तारी तथा बरामदगी के क्रम में थाना चरखारी प्रभारी श्री लाखन सिंह द्वारा गठित संयुक्त टीम के द्वारा 03 नफर वारंटी क्रमशः 1. मुसम्यान साबित्री देवी पत्नी रामप्रसाद मु. हटवारा कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा उम्र करीब 60 वर्ष सम्बन्धित मुकदमा सं0 74/16 मु0अ0सं0 142/12 धारा 323/325/504 **IPC** थाना चरखारी न्यायालय जे.एम. चरखारी महोबा 2. ऊदल पुत्र हरदयाल उम्र करीब 40 वर्ष 3.वंशी पुत्र बौरा उम्र करीब 55 वर्ष निवासी गण ग्राम छानीखुर्द थाना चरखारी जिला महोबा सम्बन्धित मु.अ.सं. 114/13 मु.न. 137/13 धारा 3/5 लोक निर्माण सम्पत्ति अधिनियम बनाम मूल चन्द्र उर्फ मुल्लू थाना चरखारी चालानी थाना चरखारी को गिरफ्तार किया गया। जिन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

(प्रथम टीम) उ.नि. शिवशंकर मय हमराह म.का. प्रज्ञा सिंह थाना चरखारी जनपद महोबा

(द्वितीय टीम) उ.नि. मोबीन अली मय हमराही **HG 352** बालकृष्ण थाना चरखारी जनपद महोबा।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरणः-

1. साबित्री देवी पत्नी रामप्रसाद मु. हटवारा कस्बा चरखारी जनपद महोबा।

2. ऊदल पुत्र हरदयाल उम्र करीब 40 वर्ष 3.वंशी पुत्र बौरा उम्र करीब 55 वर्ष निवासी गण ग्राम छानीखुर्द थाना चरखारी जिला महोबा।

अग्नि-शमन टीम द्वारा फायर सुरक्षा उपकरणों को किया गया चेक एवं दिये गये आवश्यक निर्देशः-

आज दिनाँक 08.02.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में मुख्य अग्निशमन अधिकारी (श्री राहुल पाल) के पर्यवेक्षण में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी (देवेश तिवारी) एवं फायर सर्विस टीम द्वारा थाना कबरई क्षेत्र के अंतर्गत रिलायंस पेट्रोल पंप, एस्सार पेट्रोल पंप इत्यादि कंपनी के आउटलेटों मे लगे फायर सुरक्षा उपकरणों का निरीक्षण किया गया एवं वहां मौजूद कर्मचारियों एवं मालिक को फायर सेफ्टी हेतु दिशा निर्देश भी दिए गए। फायर सर्विस टीम (चालक - रमाशंकर सिंह, फायरमैन - ज्ञानेंद्र, राजन तिवारी) का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान सभी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए निर्देशित किया गया और भवन में आवश्यक अग्निशमन उपकरण लगवाने के दिशा-निर्देश दिए गए एवं संस्थानों में मौजूद कर्मचारियों को संस्थान में लगे अग्निशमन उपकरणों को चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। जिससे भविष्य में आगजनी जैसी घटनाओं से बचा जा सके।

SDM/CO कुलपहाड के नेतृत्व में आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत मुख्य बाजार में पैदल गस्त कर की गई संदिग्धों की चेकिंग...।

यातायात पुलिस द्वारा आमजन मानस को यातायात नियमों के प्रति जागरुक किया गया

आज दिनाँक 08.02.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान पर रखकर **SDM/CO** कुलपहाड के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस द्वारा क्षेत्र के मुख्य बाजार/बस-स्टैण्ड, होटल, ढाबा, मुख्य बाजार,धार्मिक-स्थलों आदि की संघन चेकिंग की गई एवं अनावश्यक रुप से रोड़ पर घूम रहे लोगो से भी पूछताछ की गई । **कोविड-19** का पालन कराये जाने तथा यातायात नियमो का उल्लंघन करने पर 18 **वाहन चालको से 3200/-रू0 शमन शुल्क** व 58 **ई-चालान किये गये ।**

इसी क्रम में **यातायात पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह निर्धारित कार्यक्रम के क्रम में गलत साइड ड्राइविंग करने वालों की चेकिंग की गयी तथा यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई ।** जिसमें बताया गया कि दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का उपयोग करें, नशे की हालात मे वाहन को न चलायें, वाहनों को अधिक गति से न चलायें, वाहनों पर स्वीकृत सवारियों से अधिक सवारियों को न बैठायें तथा वैध लाइसेंस के साथ ही वाहन चलाने के साथ-साथ वाहनों को निर्धारित पार्किंग पर खडी करने हेतु जागरुक किया गया । जिससे सभी को यातायात के नियमों के प्रति जागरुक किया जा सके तथा होने वाली दुर्घटनाओं को रोंका जा सके ।